फर्द अहकाम

राधेश्याम बनाम नारायण

न्यायालय SDO शाहपुरा

संख्या 20/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	8/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। 151 CPC पर आवश्यक रूप से बहस करें अन्यथा गुणावगुण के आधार पर Decide की जायेगी। वास्ते पेश होने बहस हेतु पत्रावली दिनांक 09/1/25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)	
	9/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 15/1/25 को पेश हो। [initials] उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)	
	15/1/25	वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वास्ते आदेशार्थ पत्रावली दिनांक 30/1/25 को पेश हो। [initials] उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)	
	30/1/25 (31-1-25)	वकील उभयपक्ष उप०। प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस तथा पत्रावली के अवलोकन के बाद प्रार्थना पत्र अवमानना का खारिज किया जाता है। निर्णय आदेश अलग से लिखवाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [initials] उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

संख्याः–20 / 2018

दिनांक 16.03.2018 निर्णय दिनांक 31.1.2025

श्याम पुत्र भगवाना, उम्र 55 वर्ष, जाति माली, निवासी क्षणी नई कोठी, तन नाथावाला, तह०शाहपुरा, ा जयपुर (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. नारायण पुत्र भगवाना उम्र–56 वर्ष
2. राजेन्द्र पुत्र नारायण उम्र–35 वर्ष
3. दिनेश पुत्र नारायण उम्र 32 वर्ष
4. गुलाबी पत्नी राजेन्द्र उम्र 30 वर्ष
5. रेखा पत्नी दिनेश उम्र 28 वर्ष
6. मिश्री पत्नी नारायण उम्र– 52 वर्ष

ाति माली, निवासी ढाणी 'नई कोठी, तब नाथावाला, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अवमानना अन्तर्गत आदेश–39 नियम 2ए, सपठित धारा–151 सी.पी.सी.

प्रकरण सक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए के तहत अवमानना का प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थी व बाबूलाल पुत्र काना ने सम्मलित में उनवानी दावा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का हाल आराजी खसरा नं0–505, 513, 541 ग्राम नाथावाला के सम्बन्ध में मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक–29. 04.2011 को न्यायालय श्रीमान् के यहां अप्रार्थी सं0–1 व अन्य के विरूद्ध राधेश्याम बनाम मुक्ता वगैरह वाद सं0–45 / 2011 दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सं0–56 / 201। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया । उपरोक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सं०–56 / 2011 में न्यायालय श्रीमान द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.05.2011 दिनांक 02.06.2011 द्वारा अपार्थीगण को आगामी पेशी तक अस्थायी व संशोधित आदेश निषेधाज्ञा से पावन्द किया कि ये हॉल आराजी खसरा नं0–505, 513, 541 वाकै ग्राम नाथावाला तहसील–शाहपुरा पर या उसके किसी भी भाग पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे, एवं कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन नहीं करे रहन बय हस्तान्बरण नहीं करे रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे।उपरोक्त आदेश की अप्रार्थीगण जो कि एक ही परिवार के सदस्य है को पूर्ण जानकारी है व उक्त प्रकरण में अपार्थी नारायण मय अन्य अप्रार्थीगण की तरफ से श्री रामकृष्ण सैनी एडवोकेट ने दिनांक–04.07.2011 को प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा प्रस्तुत किया इस प्रकार अप्रार्थीगण को आदेश की पूर्ण जानकारी है।

अप्रार्थी नारायण व अन्य द्वारा न्यायालय श्रीमान् के यहां उपरोक्त भूमि व अन्य दीगर भूमि बाबत वाद बंटवारा घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा वाद सं0–109 / 11 उनवानी नारायण बनाम राधेश्याम वगै० दायर कर रखा है जो विचाराधीन है जिसमें आगामी पेशी 16.03.2018 नियुक्त है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सं0–56 / 2011 व अप्रार्थी नारायण द्वारा प्रस्तुत वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सं0–130 / 2011 में न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक–24. 06.2016 से राजस्व लोक

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

ालत कैम्प कोर्ट नाथावाला में ताफैसला, मूल वाद उभय पक्षो को विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड व के की यथावत स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किये जाने के आदेश पारित किये गये व वाद)–45/2011 राधेश्याम बनाम मुक्ता वगैरह को अपने आदेश दिनांक– 24.06.2016 द्वारा वाद नारायण ाम राधेश्याम वाद सं0–109/2011 के हम कित्ता किये जाने का आदेश पारित किया गया व उक्त वाद)–109/2011 विचाराधीन है जिसमें तारीख पेशी 16.03.2018 नियुक्त है। अप्रार्थीगण जो कि एक ही रेवार के सदस्य है व जिनको मान्य न्यायालय के अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश की पूर्ण जानकारी रही है, किन अप्रार्थीगण ने प्रार्थी व अन्य सह खातेदारान के विरुद्ध एक नाजायज संगठन बना रखा है व बिना सी अधिकार व न्यायालय के स्थगन की विना परवाह किये दिनांक–08.03.2016 को 'शाम 6 बजे उक्त मे में जबरन निर्माण करने की नियत से संगठित व एकराय होकर हाथो में लाठी पत्थर लेकर व रामेश्वर हीर के ट्रैक्टर ट्राली में मिट्टी लेकर आये भूमि पर मिट्टी डालने लग गये । सहखातेदार गोवर्धन द्वारा भूमि र मिट्टी व जबरन नहीं डालने व न्यायालय के स्थगन होने वावत कहा व प्रार्थी ने भी कहा तो गैरसायलान ातेदार गोवर्धन को जान से मारने की नियत से लाठियों से मारपीट करने लग गये प्रार्थी व अन्य ने बीव ाव करवाया जिसके सम्बन्ध में उक्त गोवर्धन पुत्र मदनलाल माली निवासी ढाणी नई कोठी नाथावाला लिस थाना द्वारा प्रथम सुचना रिपोर्ट सं0–89/2018 अन्तर्गत धारा–143, 323, 341 आई.पी.सी. में दर्ज राई जो जैर अनुसंधान है। पूर्व में सन् 2011 में भी गैस्सायलान द्वारा मान्य न्यायालय द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश की जानबुझकर अवहेलना व तोहिन करने की नियत से हाल खसरा नं0–505, 513, 541 ं निर्माण सामग्री एकत्रित करने लगे व खसरा नं0–541 में निमार्ग करने की नियत से पीलर खडे करने नग गये । प्रार्थी द्वारा मना करने पर झगडा व मारपीट करने लग गये व किसी न्यायालय के स्टे की रवाह नहीं करने व जबरन निर्माण करने की धमकी व इसके पश्चात भी समय–समय मौका स्थिति को रिवर्तन करने व निर्माण करने पर आमादा होने पर प्रार्थी ने समय–समय पर न्यायालय श्रीमान् के यहां व थाना–शाहपुरा में रिपोर्ट की । लेकिन इन लोगो के नाजायज प्रभाव में स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मान्य न्यायालय द्वारा पूर्व में विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट भी मंगवाने के आदेश पारित किये है अप्रार्थीगण की 'शुरू से ही मान्य न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने की नियत रही है।

3. यहकि इस प्रकार अपार्थीगण ने मान्य न्यायालय के स्थगन आदेश की बिना परवाह किये व आदेश की जानबूझकर अवहेलना व तोहिन करने की नियत से उक्त कृत्य किया है, जो मान्य न्यायालय श्रीमान के स्थगन आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है जिसके लिए गैरसायलान को कम से कम 6 माह के सिविल कारावास की सजा के दण्डित किया जाना व उनकी चल च अबल सम्पति कुर्क की जाकर आदेश दिनांक–31.05.2011 व 02.06. 2011 की स्थिति कायम करवाया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।यहकि प्रार्थी व गैर सायलान न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में निवास करते है व विवादित भूमि मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है व प्रश्नागत आदेश मान्य न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित किया गया है इसलिये न्यायालय श्रीमान् को आवेदन पत्र की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र अवमानना मयशपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को मान्य न्यायालय के आदेश की अवहेलना स्वरूप कम से कम 6 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जावे व उनकी चल व अचल सम्पति कुर्क की जावे व दिनांक–31.05. 2011 व 02.06.2011 की स्थिति कायम करवाई जाकर अप्रार्थीगण द्वारा किये गये परिवर्तन व निर्माण को उनके खर्चे से हटवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री मंगल चन्द यादव एडवाकेट ने वकालत पेश किया तथा अपना जवाब पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर जाहिर किया कि प्रार्थी ने सभी तथ्य मनगढंत अंकित किये है। उक्त खसरा नम्बरान में प्रार्थी दावा दायरी से पूर्व ही आवास बनाकर निर्माण करते चले आ रहे है। तथा मिन उत्तरदाता द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश प्राप्त कर शौचालय व स्नानघर का निर्माण किया है। मिन उत्तरदाता द्वारा किसी भी कदर मान्य न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं की गई है। तथा ना ही मान्य न्यायालय आदेशानुसार किसी मौका स्थिति में परिवर्तन नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी व अन्य व्यक्ति मिन उत्तरदाताओं के खिलाफ संगठन बना रखा है। जिन्होंने एक राय होकर मिन उत्तरदाता के घर में एक राय होकर घुस गये तथा मिन उत्तरदाताओं के साथ गंभीर मारपीट की गई जिससे उक्त गोवर्धन के खिलाफ चालान माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा में मुकामी पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो न्यायालय में अनुविष्ण चल रहा है। मिन उत्तरदाता द्वारा ना तो मान्य न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना की तथा ना ही तोहिन की ना ही इस उददेश्य से खसरा नंबर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

रेज किये जाने योग्य है। मिन उत्तरदाता द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया जिससे मान्य न्यायालय आदेश की अवमानना हुई हो या कोई कृत्य अवहेलना की श्रेणी में आता हो। जब मिन उत्तरदाता द्वारा य न्यायालय के आदेश की कोई अवहेलना की ही नहीं गई तो मिन उत्तरदाता को किसी भी प्रकार के रावास से दंडित नहीं किया जा सकता है। तथा ना ही इनका संपत्ति कुर्क की जा सकती है। मौके पर स्थिति कायम है। अतः प्रार्थना पत्र मिन उत्तरदाता के हैरान व परेशान करने के लिए प्रस्तुत किया गया जो खारिज किये जाने योग्य है।

करण में वकील अभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों ो जाहिर करते अवगत कराया कि दिनांक 8.3.2016 को मिट्टी ट्रोली डलवाया जाना तथा पत्रावली में श दस्तावेजात का अवलोकन करते हुए अप्रार्थीगण को अवमानना का दोषी मानते हुए कठोर दण्ड से ण्डित करने हेतु निवेदन किया ।

वकील अप्रार्थी ने इसका पुरजोर से खण्डन करते हुए जाहिर किया वकील प्रार्थी ने मिट्टी ट्रोली ी डालना बताई है वह किसकी है तथा कोई नम्बर आदि पेश नहीं किये है तथा न ही फोटो दस्तावेजात त्रावली में पेश किये गये है वह कहां की है आदि का कोई दस्तावेजात से सत्यापन नहीं करवाया है। इस कार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मनगढंत तथ्य पेश किये जाने से प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन केया ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा जो अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य के सम्बन्ध में वकील अप्रार्थी के द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया कि डाली गई मिट्टी की ट्रोली किस वाहन से डाली गई है तथा जो फोटो पेश किया गया है वह किस जगह की है, उसका सत्यापन करवाने में प्रार्थी पूर्णरूप से असफल रहा है तथा वकील प्रार्थी की बहस प्रकरण में रूप से चस्पा होना साबित होने से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने व मनगढ़त तथ्य पेश किया जाना साबित होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए के तहत अवमानना का सारहीन होने व मनगढ़त तथ्य होने से उपरोक्त विवेचन के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय आज दिनांक 20.1.2025 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान